रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022021-225275
CG-DL-E-19022021-225275

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 706] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 2021/माघ 30, 1942
No. 706] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2021/MAGHA 30, 1942

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2021

दि.मु.यो. 2021 से उत्पन्न आवासीय सम्पत्तियों, सहकारी समूह आवास, मिश्रित उपयोग/कमर्शियल स्ट्रीट और व्यावसायिक सम्पत्तियों (होटल और पार्किंग प्लॉटों को छोड़कर) के लिए बढ़े हुए एफ.ए.आर. हेतु लागू की जाने वाली दरों का निर्धारण

का.आ. 770(अ).— 1. दि.मु.यो.-2021 से उत्पन्न आवासीय सम्पत्तियों, सहकारी समूह आवास, मिश्रित उपयोग/ कमर्शियल स्ट्रीट और व्यावसायिक सम्पत्तियों (होटल और पार्किंग प्लॉटों को छोड़कर) के लिए बढ़े हुए एफ.ए.आर. हेतु लागू की जाने वाली दरें का.आ. संख्या 3172 (ई) दिनांक 29.06.2018 द्वारा अधिसूचित की गई थीं । तालिका के कॉलम 4 में उल्लिखित दरें छह महीने के विंडो पीरियड अर्थात् 28.12.2018 तक के लिए वैध थीं और उसके बाद कॉलम 5 में उल्लिखित दरें लागू की जानी थीं । कॉलम 4 में उल्लिखित दरों की अनुप्रयोज्यता हेतु अविध को का.आ. 373 (ई) दिनांक 23.01.2019 के साथ पठित का.आ. 359 (ई) दिनांक 21.01.2019 के द्वारा दिनांक 28.06.2019 तक आगे बढ़ाया गया, का.आ. 2271 (ई) दिनांक 01.07.2019 द्वारा 28.06.2020 तक आगे बढ़ाया गया और का.आ. 2989 (ई) दिनांक 03.09.2020 द्वारा 31.12.2020 तक पुन: आगे बढ़ाया गया । उसके बाद दिनांक 29.06.2018 की अधिसूचना की तालिका के कॉलम 5 के अंतर्गत दर्शाई गई दरें लागू की जानी थीं ।

2. इसी दौरान अधिसूचना का.आ. 3172 (ई) दिनांक 29.06.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए स्थानीय बाजारों/सुविधा केन्द्रों और दुकान एवं आवासीय परिसरों (दुकान एवं आवासीय प्लॉटों/दुकान प्लाटों) के लिए अतिरिक्त एफ.ए.आर. हेतु मद संख्या 4 (ए) की दरों को का.आ. सं. 2892 (ई) दिनांक 09.08.2019 द्वारा युक्तिसंगत बनाया गया और अधिसूचित किया गया था, जो 28.06.2020 तक मान्य थीं । इन दरों की अनुप्रयोज्यता अवधि को

का.आ. 2989 (ई) दिनांक 03.09.2020 के द्वारा आगे 31.12.2020 तक बढ़ा दिया गया था । इसके बाद इन दरों की समीक्षा की जानी थी और दिनांक 09.08.2019 की अधिसूचना के कॉलम 1 के अनुसार इन्हें निर्धारित किया जाना था।

3. अब दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 और 2 के अंतर्गत प्रभारों की अनुप्रयोज्यता हेतु वैधता अवधि को 30.06.2021 तक आगे बढ़ाता है ।

4. पट्टेदारों/ स्वामियों को विद्यमान दरों पर योजना का लाभ उठाने का यह अंतिम अवसर है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा ।

[फा. सं. एफ.2 (14) 2020-21/एओ (पी)/डीडीए]

डी.सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2021

Fixation of rates to be applied for enhanced FAR for residential properties, Coop. Group Housing, Mixed Use/ Commercial streets and commercial properties (excluding hotel and parking plots) arising out of MPD 2021

S.O. 770 (E).—1. The rates to be applied for enhanced FAR for residential properties, Coop. Group Housing, mixed use/Commercial Streets and Commercial Properties (excluding hotel and parking plots) arising out of MPD 2021 were notified vide S.O.3172 (E) dated 29th June, 2018. The rates under column 4 of the table were valid for a window period of six months, i.e. up to 28.12.2018 and thereafter the rates as shown under column 5 were to apply. The period for applicability of the rates mentioned under Column 4 was further extended up to 28.06.2019 vide S.O. 359(E) dated 21.01.2019 read with S.O.373(E) dated 23.01.2019, up to 28.06.2020 vide Notification No. S.O. 2271(E) dated 1st July, 2019 and again up to 31.12.2020 vide S.O. 2989(E) dated 03.09.2020. Thereafter the rates shown under Column 5 of the table of Notification dated 29.06.2018 were applicable.

2. In the meanwhile, the rates of item No. 4(A) for addl. FAR for LSCs/CSCs and shop-cum-residential complexes(Shop-cum-residence plots/shop plots) in partial modification of Notification S.O. 3172(E) dated 29.06.2018 were rationalized and notified vide S.O. No. 2892(E) dated 09.08.2019 and were valid up to 28.06.2020. The period for applicability of these rates was further extended up to 31.12.2020 vide S.O. 2989(E) dated 03.09.2020. Thereafter the same were to be reviewed and fixed as given in Column 1 of notification dated 09.08.2019.

3. Now in exercise of the powers conferred under Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), Delhi Development Authority with the prior approval of the Central Government, hereby further extends the validity period for applicability of the rates under Para 1 & 2 above up to 30.06.2021.

4. This is the final extension and last opportunity for the lessees/owners to avail the scheme at existing rates.

[F. No. F 2(14)2020-21/AO(P)/DDA]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2021

परिसरों और दुकान एवं आवासीय प्लॉटों/ परिसरों जिन्हें बाद में स्थानीय बाजारों (एलएससी) के रूप में निर्दिष्ट किया गया, के मिश्रित उपयोग/व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयोग परिवर्तन प्रभारों का निर्धारण।

का.आ. 771(अ).—1.परिसरों और दुकान एवं आवासीय प्लॉटों/परिसरों (काम्पलैक्सों), जिन्हें बाद में स्थानीय बाजारों (एलएससी) के रूप में निर्दिष्ट किया गया, के मिश्रित उपयोग/व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयोग परिवर्तन प्रभारों के निर्धारण के लिए लागू की जाने वाली दरें, का. आदेश 3173 (ई) दिनांक 29 जून 2018 के द्वारा अधिसूचित की गई थी। भाग 'क' के पैरा 5.3 और भाग 'ख' के पैरा 4 के अंतर्गत यथा उल्लिखित इन दरों की अनुप्रयोज्यता अवधि 6 महीनें के लिए वैध थी और उसके बाद इन दरों की समीक्षा की जानी थी। इसे का.आ. 372

(ई), दिनांक 23.01.2019 के साथ पठित का.आ. 358 (ई) दिनांक 21.01.2019 के द्वारा दिनांक 28.06.2019 तक आगे बढ़ाया गया था, तथा का.आ. 2270 (ई) दिनांक 01 जुलाई 2019 की अधिसूचना के द्वारा दिनांक 28.06.2020 तक आगे बढ़ाया गया और का.आ. 2990 (ई) दिनांक 03.09.2020 के द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक पुन: आगे बढ़ाया गया था।

2. इसी बीच, अधिसूचना का.आ. 3173 (ई) दिनांक 29.06.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए, दुकान एवं आवास प्लॉटों/परिसरों/शाप प्लॉटों, जिन्हें बाद में भाग 'ख' के स्थानीय बाजारों (एलएससी) के रूप में निर्दिष्ट किया गया था, के लिए उपयोग परिवर्तन प्रभारों हेतु दरों को आगे युक्तिसंगत बनाया गया और का.आ. संख्या 2891 (ई) दिनांक 09.08.2019 के द्वारा अधिसूचित किया गया था। ये दरें दिनांक 28.06.2020 तक वैध थीं। इन दरों की अनुप्रयोज्यता अवधि को का.आ. 2990(ई) दिनांक 03.09.2020 के द्वारा आगे बढ़ाया गया था और ये दरें दिनांक 31.12.2020 तक वैध थीं। उसके बाद इन दरों की समीक्षा की जानी थी और इन्हें दिनांक 09.08.2019 के अधिसूचना के कॉलम-3 में दिए अनुसार निर्धारित किया जाना था।

3. अब, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण , केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्-द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 और 2 के अंतर्गत इन प्रभारों की अनुप्रयोज्यता हेतु वैधता अवधि को दिनांक 30.06.2021 तक आगे बढ़ाता है।

4. पट्टेदारों/ स्वामियों को विद्यमान दरों पर योजना का लाभ उठाने का यह अंतिम अवसर है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा ।

[फा. सं. एफ 2 (14)2020-21/एओ(पी)डीडीए]

डी.सरकार, आयुक्त एवं सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2021

Fixation of use conversion charges for Mixed Use/Commercial Use of Premises and Shop-cum-residence plots/Complexes later designated as LSCs.

S.O. 771(E).—1.The rates to be applied for fixation of use conversion charges for Mixed Use/Commercial Use of Premises and Shop-cum-residence plots/Complexes later designated as LSCs were notified vide S.O.3173 (E) dated 29th June, 2018. The period for applicability of these rates as mentioned under Para 5.3 of Part A and Para 4 of Part B was valid for six months and thereafter these were to be reviewed. This was further extended up to 28.06.2019 vide S.O.358(E) dated 21.01.2019 read with S.O.372(E) dated 23.01.2019, up to 28.06.2020 vide Notification No. S.O. 2270(E) dated 1st July, 2019 and again up to 31.12.2020 vide S.O. 2990(E) dated 03.09.2020.

2. In the meanwhile, in partial modification of Notification S.O.3173(E) dated 29.06.2018,the rates for use conversion charges for shop-cum-residence plots/complexes/shop plots later designated as LSCs under Part B were further rationalized and notified vide S.O. No. 2891(E) dated 09.08.2019. These rates were valid up to 28.06.2020. The period for applicability of these rates was further extended vide S.O. 2990(E) dated 03.09.2020 and was valid up to 31.12.2020. Thereafter the same were to be reviewed and fixed as given in Column 3 of Notification dated 09.08.2019.

3. Now, in exercise of the powers conferred under Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), Delhi Development Authority, with the prior approval of the Central Government, hereby further extends the validity period for applicability of the charges under Para 1 & 2 above up to 30.06.2021.

4. This is the final extension and last opportunity for the lessees/owners to avail the scheme at existing rates

[F. No. F 2(14)2020-21/AO(P)/DDA]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM